प्रेषक,

रेणुका कुमार,
प्रमुख सचिव,
महिला कल्याण विभाग।
उ0प्र0 शासन,

सेवा में,

प्रो0 जे0वी0 सिंह,
विभागाध्यक्ष,
उच्चीकृत कम्युनिटी मेडिसिन एण्ड पब्लिक हेल्थ विभाग,
के0जी0एम0यू0,
लखनऊ।

एफ0एम0यू0– 1825 लखनऊः दिनांक 24 अक्टूबर, 2016

विषय – उ0प्र0 रानी लक्ष्मी बाई महिला सम्मान कोष के अंतर्गत उपलब्ध चिकित्सीय सुविधाओं के वृहत्तर उपयोग हेतु स्थापित हेल्प डेस्क के तहत सभी पात्र व्यक्तियों को चिकित्सीय सुविधा प्रदान किये जाने पर होने वाले व्यय को के0जी0एम0यू0 को उपलब्ध इम्प्रेस्ट धनराशि से व्यय किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या 884/सी0एम0/आर0एल0एम0सी0/हेल्प डेस्क, दिनांक 27.09.2016 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या 460/60–3–15–6(3)/14टी0सी0–2, दिनांक 27.03.2015 के द्वारा एसिड अटैक की पीड़िताओं को प्रदेश के मेडिकल कालेजों में कैशलेस उपचार प्रदान किए जाने हेतु इम्प्रेस्ट मनी के रूप में रू0 1,86,00,000/– (रूपये एक करोड़ छियासी लाख मात्र) की स्वीकृति प्रदान की गयी है। तद्क्रम में शासनादेश संख्या 896/60–3–15–6(3)/14टी0सी0–2, दिनांक 24.04.2015 द्वारा किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ को रू0 70.00 लाख (रूपये सत्तर लाख मात्र) की धनराशि स्वीकृत की गयी है।

उ0प्र0 रानी लक्ष्मी बाई महिला सम्मान कोष के तहत किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय में स्थापित हेल्प डेस्क के तहत प्रथम चरण में **समाजवादी पेंशन योजना, वृद्धावस्था पेंशन योजना, विकलांग पेंशन योजना, विधवा पेंशन योजना से आच्छादित लाभार्थी, वृद्धाश्रम तथा राजकीय गृहों में निवासरत संवासियों** को चिकित्सीय सुविधा प्रदान किया जाना प्रस्तावित है।

के0जी0एम0यू0 को प्रदान की गयी इम्प्रेस्ट मनी पात्र एसिड अटैक पीड़िताओं के लिए ही नहीं बल्कि कोष नियमावली के संलग्नक–1 व संलग्नक–2 में आच्छादित सभी पात्र व्यक्तियों को इसका लाभ दिया जाना श्रेयस्कर होगा तथा कोष का उददेश्य भी पूर्ण हो सकेगा। अतः के0जी0एम0यू0 में हेल्प डेस्क के तहत इलाज कराने हेतु

आई0डी0 कार्ड (पिंक कार्ड), ओ0पी0डी0, भर्ती शुल्क, दवाइयों एवं आई0पी0डी0 ट्रीटमेन्ट आदि पर आने वाले व्यय को के0जी0एम0यू0 को इम्प्रेस्ट मनी के रूप में उपलब्ध करायी गयी धनराशि से नियमानुसार व्यय किया जाना है।

उपरोक्त के संदर्भ में **एसिड अटैक पीड़िताओं** के अतिरिक्त कोष नियमावली के संलग्नक–1 व संलग्नक–2 में आच्छादित सभी पात्र व्यक्तियों को चिकित्सीय सुविधा प्रदान किये जाने पर होने वाले व्यय को के0जी0एम0यू0 को इम्प्रेस्ट मनी के रूप में उपलब्ध करायी गयी धनराशि रू0 70.00 लाख से नियमानुसार व्यय किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

भवदीया

24/10/16

(रेणुका कुमार)
प्रमुख सचिव

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. कुलपति, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ।
2. निदेशक, महिला कल्याण, उ0प्र0।
3. महिला एवं बाल विकास अनुभाग–3, उ0प्र0 शासन।

(नीलिमा श्रीवास्तव)
विहित प्राधिकारी